न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–15/2011–12

श्रीमती शोभा देवी
बनाम
जोहन खड़िया (मृत)
जेवियर खड़िया वगैरह

आदेश

यह अपील वाद अपीलार्थी शोभा देवी, पति – श्री प्रेमचन्द प्रसाद, ग्राम – गोतरा, ठाकुरटोली थाना – सिमडेगा जिला – सिमडेगा ने अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा द्वारा SAR वाद सं0– 63/2010 (जोहन खडिया बनाम श्रीमती शोभा देवी) में दिनांक 29.12.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध में दायर किया है। अपील सुनवाई हेतु दिनांक 27.03.2012 को अंगीकृत किया गया। उभय पक्षों को उपस्थित होने एवं कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही निम्न न्यायालय के SAR अभिलेख की मांग की गई।

वादगत् भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा
गोतरा, सिमडेगा	25	4140	1.09 एकड़ में से 0.05 एकड

दिनांक 22.01.2021 को आवेदक के अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दिया गया कि विपक्षी जोहन खड़िया की मृत्यु हो गई है। जोहन खड़िया के उत्तराधिकारी 04 पुत्र 1. जेबियर खड़िया 2. तोबियस खड़िया 3. रोबर्ट खड़िया 4. लाल खड़िया हुए उनमे से तोबियस खड़िया की नावल्द मृत्यु हो चुकी है। वर्त्तमान में 03 पुत्र जीवित है जिन्हें न्यायहित में पक्षकार बनाया जाय।

दिनांक 25.03.2021 को उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस बाद की विवादित भूमि मौजा– गोतरा, सिमडेगा के खाता नं0 25 प्लॉट नं0 4140 रकबा – 1.09 एकड़ में से मात्र 0.05 एकड़ से संबंधित है। अपीलार्थी ने यह भूमि विपक्षी जोहन खड़िया से वर्ष 1978 में सादा पट्टा के माध्यम से क्रय मूल्य 90 रूपये देकर प्राप्त किया है एवं भूमि क्रय के बाद से भूमि पर दखलकार है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा मकान, चापाकल एवं चाहरदिवारी का निर्माण कराया गया है। आगे अधिवक्ता ने बताया कि विवादित भूमि खरीदगी भूमि है यह भूमि जोहन खडिया ने निबंधित पट्टा संख्या 872

दिनांक 05.05.1975 से मतियस खड़िया वल्द स्व0 खोदरो खड़िया ग्राम – गोतरा भूण्डूटोली, थाना– सिमडेगा से विधिवत् सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर क्रय किया है। चुंकि विवादित भूमि खरीदगी भूमि है इसलिए इसपर माननीय उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य मामलों में पारित आदेशानुसार भूमि वापसी (SAR Case) नही चल सकता है। अचंल अधिकारी, सिमडेगा ने भी अपने प्रतिवेदन में अपीलार्थी द्वारा उक्त कहे गये तथ्यों से संबंधित प्रतिवेदन दिया है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी का विगत 30 वर्षो से अधिक का दखल–कब्जा है। इसलिए अपीलार्थी का Adverse Possession का हक बनता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा ने सभी तथ्यों की अनदेखी कर भूमि वापसी का एक पक्षीय फैसला दे दिया है जो न्यायहित में सही नहीं है। अन्त में अधिवक्ता ने कहा कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाय एवं अपील स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने बताया कि उक्त विवादित उनकी खरीदगी भूमि है। लगान रसीद उनके नाम से कटता है। पंजी II जुनास खड़िया वल्द झालू खड़िया के नाम से दाखिल खारिज वाद संख्या 4R27/ 1976-77 के आधार पर कायम है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा पारित आदेश सही है। इसलिए अपील खारिज किया जाय।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस को सुनने एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादगत् भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। विपक्षी गैर आदिवासी है। उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत सादा पट्टा अचल सम्पति हस्तांतरण अधिनियम के विरूद्ध है, साथ ही CNT की धारा 46 का भी उल्लंघन किया गया है। अतएव निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है एवं अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

4.04.21

उपायुक्त,
सिमडेगा।

04.04.21

उपायुक्त,
सिमडेगा।

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2021.12.17 13:14:14 +05:30
Location: 192.168.112.67